झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–1315 वर्ष 2017

प्रभावती सिन्हा उर्फ प्रभावती, पत्नी–स्वर्गीय जे0पी0एन0 सिंह, निवासी–मूनीडीह, डाकघर एवं थाना–मूनीडीह, जिला–धनबाद–828129 .... याचिकाकर्ता

बनाम्

1.भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी) अपने अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक के माध्यम से जिनका कार्यालय कोयला भवन, डाकघर–कोयला नगर, थाना एवं जिला–धनबाद में है।

2. परियोजना अधिकारी, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, मूनीडीह कोल वाशरी, डाकघर एवं थाना–मूनीडीह, जिला–धनबाद–828129

.... उत्तरदातागण

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार द्विवेदी

याचिकाकर्ता के लिए :– श्री विकाश पाण्डेय अधिवक्ता

उत्तरदाता–बी0सी0सी0एल0 के लिएः– श्री विपुल पोद्दार, अधिवक्ता

07/दिनांकः03/11/2020 याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री विकाश पाण्डेय और प्रतिवादी–बी0सी0सी0एल0 के विद्वान अधिवक्ता श्री विपुल पोद्दार को सुना गया।

. इस रिट याचिका को कोविड–19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के मद्देनजर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की गई। किसी भी पक्ष ने ऑडियो–वीडियो में किसी भी तकनीकी गड़बड़ी की शिकायत नहीं की और उनकी सहमति से इस मामले को सुना गया है।

हालांकि, दिनांक 30.09.2020 के आदेश द्वारा, प्रतिवादी–बी0सी0सी0एल0 को प्रतिशपथपत्र फाइल करने के लिए निर्देश दिया गया था, किंतु इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि मामले का निपटान डब्ल्यू0पी0 (एस0) संख्या 2147/2018 में पारित दिनांक 20.08.2020 के आदेश के अनुसार किया जा सकता है एवं याचिकाकर्ता के मामले पर विचार किया जा सकता है।

याचिकाकर्ता के कथित प्रस्तुतीकरण को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका का निपटान डब्ल्यू0पी0 (एस0) संख्या 2147/2018 में पारित दिनांक 20.08.2020 के आदेश के संदर्भ में किया जा रहा है।

डब्ल्यू0पी0 (एस0) संख्या 2147/2018 में की गई चर्चाओं के आलोक में, अनुलग्नक–5 में दिए गए दिनांक 25/27.09.2016 के आक्षेपित आदेश को निरस्त एवं अपास्त किया जाता है। प्रतिवादियों को डब्ल्यू0पी0 (एस0) संख्या 2147/2018 में की गई चर्चाओं के आलोक में इस आदेश की प्रति की प्राप्ति/प्रस्तुति की तारीख से आठ सप्ताह के भीतर नए सिरे से निर्णय लेने का निर्देश दिया जाता है।

रिट याचिका अनुज्ञात की जाती है और उसका निपटारा किया जाता है।

(श्री संजय कुमार द्विवेदी, न्याया0)